फार्म नं. 111

फर्द अहकाम

नियम(26)

2022/66

अज न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

रामप्रसाद वगै0 बनाम. रामजीत वगै0

किस्म मुकदमा.......225 आर.टी.एक्ट......अपील नं0 38/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इंनिशियल्स जज	नम्कर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
12.7.22	अभिभाषक अपीलान्टं उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अभिभाषक अपींलाट को एडमिशन पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ख0न0 490/323 सिवायचक मे से रास्ता दिया गया है। रेस्पो0 का खेत ख0न0 494/323 एवं 495/323 है जिस पर आने जाने हेतु रास्ता दिया गया है। जबकि इस आराजी पर आने जाने हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद है। अपीलांट का खेत ख0न0 500/323 एवं 509/323 बीच मे पडता है। जिस मे से रेस्पो0 रास्ता निकालने पर आमादा है। आराजी ख0न0 323 बडा रकबा है जिसकी तरमीम नही हो रही है। उक्त खसरा 67.17 बीघा का है जिस पर लोगो ने अतिक्रमण कर रखे है। अपीलांट द्वारा अपील मे केवल ख0न0 500/323 व 509/323 की हद तक रिलिफ चाही गई है। रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे ख0न0 494/323 व 495/323 पर आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर आने जाने हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद है जो फर्द म मौका रिपोर्ट दिनांक 7.4.22 से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त विवेचन से अपील अपीलांट ख0न0 500/323 व 509/323 की हद तक आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः परीक्षण हेतु रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः जॉच कर मौके की वस्तुस्थिति की जॉच कर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner